Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 1 | ISSN : 2581- 6306

भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति की, वैदिक तथा मध्यकाल की स्थिति की तुलनात्मक सामाजिक विवेचना

शीला कुमारी
पी0एच.डी (संस्कृत)
शिब्ली नेशनल पी0जी0 कालेज
आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत।

Article Info
Volume 4, Issue 1
Page Number : 108-115

Publication Issue :
January-February-2021

Article History
Accepted : 05 Feb 2021
Published : 15 Feb 2021

सारांश – वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुँच सकने के कारण स्त्रियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह सत्य है कि वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं लेकिन फिर भी वह अनेक स्थानों पर पुरूष–प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही है। इस सन्दर्भ में युगनायक एवं राष्ट्रनिर्माता स्वामी विवेकानन्द का यह कथन उल्लेखनीय है– ''किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहाँ की महिलाओं की स्थिति, हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए, जहाँ वे अपने समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सके। हमें नारीशक्ति के उद्धारक नहीं वरन उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए।

मुख्य शब्द – भारत, महिलाओं, वैदिक, मध्यकाल, सामाजिक, भारतीय।

प्रस्तावना – भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों की सामना किया है। प्राचीन काल में पुरूषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिये जाने तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलायें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई है।

भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं और उनके अधिकारों में तदनरूप

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

बदलाव भी होते रहे हैं, वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी, परिवार तथा समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था। उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, सम्पत्ति में उनको बराबरी का हक था। सभा व समितियों में से स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेती थी तथापि ऋग्वेद में कुछ ऐसी उक्तियाँ भी हैं जो महिलाओं के विरोध में दिखाई पड़ती हैं। मैत्रीय संहिता में स्त्री को झूठ का अवतार कहा गया है। ऋग्वेद का कथन है कि स्त्रियों के साथ कोई मित्रता नहीं है, उनके हृदय भेड़ियों के हृदय हैं, ऋग्वेद के अन्य कथन में स्त्रियों को दास की सेना का अस्त्र शस्त्र कहा गया है। स्पष्ट है कि वैदिक काल में भी कही न कही महिलायें नीची दृष्टि से देखी जाती थी, फिर भी हिन्दू जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह समान रूप से आदर और प्रतिष्ठित थी। शिक्षा, धर्म, व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में उसका महान योगदान था। संस्थानिक रूप से स्त्रियों की अवनति उत्तर वैदिककाल में शुरू हुई, उन पर अनेक प्रकार की निर्योग्यताओं का आरोपण कर दिया गया। उनके लिए निन्दनीय शब्दों का प्रयोग होने लगा। उनकी स्वतंत्रता और उन्मुक्तता पर अनेक प्रकार के अंकुश लगाये जाने लगे। मध्यकाल में उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गयी। पर्दा प्रथा इस सीमा तक बढ़ गई कि स्त्रियों के लिए कठोर एकान्त नियम बना दिये गये। शिक्षण की सुविधा पूर्णरूपेण समाप्त हो गई।

नारी के सम्बन्ध में मनु का कथन ''पितारक्षति कौमारे ..... न स्त्री स्वात्तन्त्रय अर्हति'' वही पर उनका कथन ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' भी दृष्टव्य है वस्तुतः यह समस्या प्राचीनकाल से रही है। इसमें धर्म, संस्कृति साहित्य, परम्परा, रीति रिवाज और शास्त्र को कारण माना गया है। भारतीय दृष्टि से इस पर विचार करने की जरूरत है पश्चिम की दृष्टि विचारणीय नहीं है। भारतीय सन्दर्भों में समस्या के समाधान के लिए प्रयास तो अच्छे हुए हैं। भारतीय मनीषी समानाधिकार, समानता, प्रतियोगिता की बात नहीं करती वह सहयोगिता सहधमिर्णी, सहचारिता की बात करती है इसी से परस्पर सन्तुलन स्थापित हो सकता है।

वैदिक काल में महिलायें – वैदिक एवं उत्तरवैदिक काल में महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त था, उसे देवी, सहधर्मिणी, अर्द्धागिनी, सहचरी माना जाता था, स्मृतिकाल में भी ''यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता'' कहकर उसे सम्मानित स्थान प्रदान किया गया है। पौराणिक काल में शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी आराधना की जाती रही है किन्तु 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती गई। एक तरह से यह महिलाओं के सम्मान, विकास और सशक्तिकरण का अंधकार युग था। मुगल शासन, सामन्ती व्यवस्था, केन्द्रीय सत्ता का विनष्ट होना, विदेशी आक्रमण और शासकों की विलासितापूर्ण प्रवृत्ति ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना दिया था और उसके कारण, बाल विवाह, पर्दाप्रथा, अशिक्षा आदि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का समाज में प्रवेश हुआ, जिसने महिलाओं की स्थिति को हीन बना दिया तथा उनके नीजि व सामाजिक जीवन को कलुपित कर दिया।

धर्मशास्त्र का यह कथन नारी स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं है। अपितु नारी के निर्बाध रूप से स्वधर्म पालन कर सकने के लिए बाह्य आपत्तियों से उसकी रक्षा हेतु पुरूष समाज पर डाला गया उत्तदायित्व है। इसलिए धर्मनिष्ठ पुरूष इसे भार न मानकर, धर्मरूप में स्वीकार अपना कल्याणकारी कर्तव्य समझता है। पौराणिक युग में नारी वैदिक युग में दैवी पद से उतर कर सहधर्मिणी के स्थान पर आ गई थी धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञिक कर्मों में

उसकी स्थिति पुरूषों के बराबर थी। कोई भी धार्मिक कार्य बिना पत्नी नहीं किया जाता था। श्रीरामचन्द्र ने अश्वमेध के समय सीता की हिरण्यमयी प्रतिमा बनाकर यज्ञ किया था यद्यपि उस समय भी अरून्धती (महर्षि वशिष्ठ की पत्नी) लोपामुद्रा, (महर्षि अगस्त्य की पत्नी), अनुसूया (महर्षि अत्रि की पत्नी) आदि नारियाँ दैवी रूप की प्रतिष्ठा के अनुरूप थी तथापि ये सभी अपने पतियो ंकी सहधर्मिर्णी ही थीं।

मध्यकाल में महिलायें – समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान और अधिक गिरावट आयी जब भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुर्न विवाह पर रोक, सामाजिक जिन्दगी का एक हिस्सा बन गयी थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों की जीत ने परदा प्रथा को भारतीय समाज में ला दिया। राजस्थान के राजपूतों में जौहर की प्रथा थी। भारत के कुछ हिस्सों में देवदासियाँ या मन्दिर की महिलाओं को यौवन शोषण का शिकार होना पड़ा था। बहुविवाह की प्रथा, हिन्दू क्षत्रिय शासकों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। कई मुस्लिम परिवारों में महिलाओं को जनाना क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया था।

इन परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहिल शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की। रजियासुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला साम्राज्ञी बनी। गोंड की महारानी दुर्गावती ने 1564 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गँवाने से पहले पन्द्रह वर्षों तक शासन किया था।

चाँदबीबी ने 1590 के दशक में अकबर की शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की। जहाँगीर की पत्नी नूरजहाँ ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया और मुगलराज गद्दी के पीछे वास्तविक शक्ति के रूप में पहचान हासिल की। मुगल राजकुमारी जहाँआरा और जैबुन्निसा सुप्रसिद्ध कवियित्रियाँ थी और उन्होने सत्तारूढ़ प्रशासन को भी प्रभावित किया। शिवाजी की माँ जीजाबाई को एक योद्धा और एक प्रशासक के रूप में उनकी क्षमता के कारण क्लीन रीजेंट के रूप में पदस्थापित किया गया। दक्षिण भारत में कई महिलाओं ने गाँवों, शहरों और जिले पर शासन किया और सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं की शुरूआत की।

भक्ति आन्दोलन ने महिलाओं की बेहतर स्थिति को वापस हासिल करने की कोशिश की और प्रभुत्व के स्वरूपों पर सवाल उठाया एक महिला संत कवियित्री मीराबाई भक्ति आन्दोलन के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक थी। इस अवधि की कुछ अन्य सन्त–कवियित्री में महोदवी, रानी जानाबाई और लालदेद शामिल हैं हिन्दुत्व के अन्दर महानुभाव, बरकारी और कई अन्य जैसे भक्ति सम्प्रदाय, हिन्दु सम्प्रदाय में पुरूषों और महिलाओं के बीच सामाजिक न्याय और समानता की खुले तौर पर वकालत करने वाले प्रमुख आन्दोलन थे।

भक्ति आन्दोलन के कुछ ही समय बाद सिक्खों के पहले गुरू गुरूनानक ने भी पुरूषों और महिलाओं के बीच समानता के सन्देश को प्रचारित किया। उन्होने महिलाओं को धार्मिक संस्थानों का नेतृत्व करने सामूहिक प्रार्थना के रूप में गाये जाने वाले कीर्तन या भजन को गाने और इनकी अगुवाई करने धार्मिक प्रबन्धन समितियों के सदस्य बनने, युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करने, विवाह में बराबरी का हक और अमृत (दीक्षा) में समानता की अनुमति देने की वकालत की। अन्य सिक्ख गुरूओं ने भी महिलाओं के प्रति भेदभाव के खिलाफ उपदेश दिये।

मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से स्त्रियों की स्थिति में जबर्दस्त गिरावट आयी। अशिक्षा और रूढ़ियाँ जकड़ती गई, घर की चाहरदीवारों में कैद होती गई और नारी एक अबला, रमणी और भोग्या बनकर रह गई। आर्य समाज, आदि समाज–सेवी संस्थाओं ने नारी शिक्षा आदि के लिए प्रयास प्रारम्भ किये। उन्नीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में भारत के कुछ समाजसेवियों जैसे राजा राममोहन राय, दयानन्द सरस्वती, ईश्वरचन्द विद्यासागर तथा केशवचन्द्र ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरूद्ध आवाज उठाई। उन्होने तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के समक्ष स्त्री पुरूष समानता, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा पर रोक तथा बहुविवाह पर रोक की आवाज उठायी। इसी का परिणाम था। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, 1856 में हिन्दू विधवा पुर्नविवाह अधिनियम 1891 में एज आफ कन्सटेंट बिल 1891, बहुविवाह रोकने के लिए वेटिव मैरिज एक्ट पास कराया। इन सभी कानूनों का समाज पर दूरगामी परिणाम हुआ वर्षों के नारी स्थिति में आयी गिरावट में रोक लगी, आने वाले समय में स्त्री जागरूकता में वृद्धि हुई और नये नारी संगठनों का सूत्रपात हुआ जिनकी मुख्य माँग स्त्रीशिक्षा, दहेज, बाल विवाह, जैसी कुरीतियों पर रोक, महिला अधिकार, महिला शिक्षा की माँग की गई।

महिलाओं का पुनरोत्थान का काल ब्रिटिश काल से शुरू हुआ है। ब्रिटिश शासन की अवधि में हमारे समाज की सामाजिक व आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन किये गये। ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों की अवधि में स्त्रियों के जीवन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनेक सुधार आये। औद्योगीकरण, शिक्षा का विस्तार, सामाजिक आन्दोलन व महिला संगठनों का उदय व सामाजिक विधानों ने स्त्रियों की दशा में बड़ी सीमा तक सुधार की ठोस शुरूआत की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक स्त्रियों की निम्न दशा के प्रमुख कारण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक निषेध, जाति बन्धन, स्त्री नेतृत्व का अभाव तथा पुरूषों का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि थे। मेटसन ने हिन्दु संस्कृति में स्त्रियों की एकान्तता तथा उसके निम्न स्तर के लिए पाँच कारकों को उत्तरदायी ठहराया है। यह है – हिन्दु धर्म, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, इस्लामी शासन तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद। हिन्दुत्वाद के आदर्शों के अनुसार पुरूष स्त्रियों से श्रेष्ठ होते हैं और स्त्रियों व पुरूषों की भिन्न–भिन्न भूमिकाएँ निभानी चाहिए। स्त्रियों से माता व गृहणी की भूमिकाओं की और पुरूषों से राजनीतिक व आर्थिक भूमिकाओं की आशा की जाती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये सरकार द्वारा उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में समाहित करने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। महिलाओं को विकास की अखिल धारा में प्रवाहित करने, शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उनकी सोंच में मूलभूत परिवर्तन लाने, आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभिरूचि उत्पन्न कर उन्हें आर्थिक–सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन की ओर अग्रसारित करने जैसे अहम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पिछले कुछ दशकों में विशेष प्रयास किये गये हैं।

उन्नीसवीं सदी के मध्यकाल से लेकर इक्कीसवी सदी तक आते–आते पुनः महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और महिलाओं ने शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में

उपलब्धियों के नए आयाम तय किये। आज महिलायें आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित, आत्मविश्वासी हैं, जिसने पुरूष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वह केवल शिक्षिका, नर्स, स्त्री रोग की डाक्टर न बनकर इन्जीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीशियन, सेना, पत्रकारिता जैसे नये क्षेत्रों को अपना रही हैं। राजनीति के क्षेत्रों में महिलाओं ने नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल, लोकसभा स्पीकर के पद पर मीराकुमार, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मायावती, वसुन्धरा राजे, सुषमा स्वराज, जयललिता, ममता बनर्जी, शीला दीक्षित आदि महिलाये राजनीति के क्षेत्र में शीर्ष पर हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी मेधा पाटकर, श्रीमती किरन, इलाभट्ट, सुधा मूर्ति आदि महिलायें ख्यातिलब्ध हैं। खेल जगत में पी.टी. उषा, अंजू बाबी जार्ज, सुनीता जैन, सानिया मिर्जा, अंजू चोपड़ा आदि ने नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। आई.पी.एस. किरन बेदी, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आदि ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके विविध क्षेत्रों में बुद्धि कौशल का परिचय दिया है।

20वीं सदी के उत्तरार्द्ध और अब 21वीं सदी के प्रारम्भ में बराबरी व्यवहार वाले जोड़े बनने लगे हैं। नौकरी वाली नारी के साथ पुरूष की मानसिकता में बदलाव आया है। पहले नौकरी वाली औरत के पति को औरत की कमाई खाने वाला कहकर चिढ़ाया जाता था। आज सोच बदल चुकी है, स्त्री स्वायत्त में अर्थशास्त्र का योगदान अद्भूत है। स्त्रियाँ धन कमाने लगी हैं तो पुरूषों की मानसिकता में भी परिवर्तन आया है। आर्थिक दृष्टि से नारी अर्थचक्र के केन्द्र की ओर बढ़ रही है। विज्ञापन की दुनिया में नारिया बहुत आगे हैं। बहुत कम ही ऐसे विज्ञापन होगें जिनमें नारी न हो लेकिन विज्ञापन में अश्लीलता चिन्तन का विषय है, इससे समाज में विकृतियाँ भी बढ़ रही है। अर्थशास्त्र ने समाजशास्त्र को बौना बना दिया है।

आज की नारी राजनीतिक, करोबार, कला तथा नौकरियों में पहुँचकर नये आयाम गढ़ रही हैं। भूमण्डलीकृत दुनिया में भारत और यहाँ की नारियों ने अपनी एक नितान्त सम्मानजनक जगह कायम कर ली। आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रतिवर्ष कुल परीक्षार्थियों में 50 प्रतिशत महिलायें डाक्टरी की परीक्षा में उत्तीर्ण करती हैं। आजादी के बाद लगभग 12 महिलायें विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। भारत के अग्रणी साफ्टवेयर उद्योग में 21 प्रतिशत पेशेवर महिलायें हैं। फौज, राजनीति, खेल, पायलट तथा उद्यमी सभी क्षेत्रों में जहाँ वर्षों पहले तक महिलाओं के होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वहाँ सिर्फ नारी स्वयं को स्थापित ही नहीं कर पायी है बल्कि वहाँ सफल भी हो रही हैं।

यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः ही होगा। जवाहर लाल नेहरू महिलाओं को शिक्षा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जो सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हुआ उससे समाज में एक नयी जागरूकता उत्पन्न हुई है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या पर सरकार द्वारा रोक लगाने का अथक प्रयास हुआ है। शैक्षणिक गतिशीलता से पारिवारिक जीवन में परिवर्तन हुआ है। गाँधी जी ने कहा था कि एक लड़की की शिक्षा एक लड़के की शिक्षा की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि लड़के को शिक्षित करने पर वह अकेला शिक्षित होता है किन्तु एक लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित हो

जाता है, शिक्षा ही वह कुंजी है जो जीवन के वह सभी द्वार खोल देती है जो कि आवश्यक रूप से सामाजिक है। शिक्षित महिलाओं को राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने में बहुत मदद मिली। महिलायें अपनी स्थिति व अधिकारों के विषय में सचेत होने लगी। शिक्षा ने उन्हें आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक न्याय तथा पुरूषों के साथ समानता के अधिकारों की माँग करने को प्रेरित किया।

संवैधानिक अधिकारों में विभिन्न कानूनों के द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार मिलने से उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, महिलाओं के विवाह विच्छेदन परिवार की सम्पत्ति में पुरूषों के समान अधिकार दिये गये ।दहेज पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा तथा उन व्यक्तियों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई जो दहेज की माँग को लेकर महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। अब सरकार लिव इन पर विचार कर रही है। संयुक्त परिवारों के विघटन होने से जैसे–एकांकी परिवार की संख्या बड़ी इनमें न केवल महिलाओं के सम्मानित स्थान मिलने लगा बल्कि लड़कियों की शिक्षा को भी एक प्रमुख आवश्यकता के रूप में देखा जाने लगा। वातावरण अधिक समताकारी होने से महिलाओं को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर मिलने लगे।

महिला शिक्षा समाज का आधार है। समाज द्वारा पुरूषों को शिक्षित करने का लाभ केवल मात्र पुरूष को होता है जबकि महिला शिक्षा का स्पष्ट लाभ परिवार, समाज एवं सम्पूर्ण राष्ट्र को होता है चूंकि महिला ही माता के रूप में बच्चों की प्रथम अध्यापिका बनती है, शिक्षा एवं संस्कृति के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त समर्थन मिला यद्यपि कुछ समय एक महिला शिक्षा के समर्थक कम किन्तु आज समय एवं परिस्थितियों ने महिला शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था।

स्त्री और मुक्ति आज भी नदी के किनारे की तरह है जो कभी मिल नहीं पाती है। सतही तौर पर देखा जाये तो लगता है कि भारत ही नहीं, विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाती हुई स्त्रियों ने अपनी पुरानी मान्यतायें बदली है। आज की स्त्री की अस्मिता का प्रश्न मुखर होता जा रहा है। अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए संघर्ष करती हुई स्त्रिों ने लम्बा रास्ता तय कर लिया है, परन्तु आज भी एक बड़ा हिस्सा सदियों से सामाजिक अन्याय का शिकार है। जब–जब स्त्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, तब–तब जाने कितने रीति–रिवाजों, परम्पराओं पौराणिक आख्यानों की दुहाई देकर उसे गुमनाम जीवन जीने पर विवश कर दिया जाता है।

वस्तुतः इक्कीसवीं सदी महिला सदी है। वर्ष 2001 महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। इसमें महिलाओं की क्षमताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिक सशक्त बनाने तथा समग्र समाज को महिलाओं की स्थिति और भूमिका के संबंध में जागरूक बनाने के प्रयास किये गये। महिला सशक्तिकरण हेतु 2001 में प्रथम बार ''राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति'' बनाई गई जिससे देश में महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास की आधारभूत विशेषताएं निर्धारित किया जाना संभव हो सके। इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरूषों के बराबर आधार पर महिलाओं द्वारा समस्त मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का सैद्धान्तिक तथा वस्तुतः उपभोग पर तथा इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी व निर्णय स्तर तक समान पहुँच पर बल दिया गया है।

आज देखने में आया है कि महिलाओं ने स्वयं के अनुभव के आधार पर, अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के आधार पर अपने लिए नई मंजिलें, नये रास्तों का निर्माण किया है। क्या मात्र इस आधार पर उस सफलता के पीछे क्षणांश भी किसी पुरूष के हाथ होने की संभावना को नकार दिया जायेगा ? यदि नही ंतो फिर समस्या कहा है ? मैं कौन हूँ का प्रश्न अभी भी उत्तर की आस में क्यों खड़ा है।

जवाब हमारे सभी के अन्दर ही है पर उसको सामने लाने में हम घबराते भी दिखते हैं। स्त्री को एक देह से अलग एक स्त्री के रूप में देखने की आदत को डालना होगा। स्त्री के कपड़ों के भीतर से नग्नता को खींच–खींच कर बाहर लाने की परम्परा से निजात पानी होगी। कोड आफ कंडक्ट किसी भी समाज में व्यवस्था के संचालन में तो सहयोगी हो सकते हैं किन्तु इसके अपरिहार्य रूप से किसी भी व्यक्ति पर लागू किये जाने से इसके विरोध की सम्भावना उतनी ही प्रबल हो जाती है जितनी कि इसको लागू करवाने की। क्या विकास है और किसे बिकना है, अब इसका निर्धारण स्वयं बाजार करता है, हमें तो किसी को बिकाऊ और किसी को जोर जबरदस्ती से बिकने के बीच में आकर खड़े होना है, किसी की मजबूरी किसी के लिए व्यवसाय न बने यह समाज को ध्यान देना होगा। नग्नता और शालीनता के मध्य की बारीक रेखा समाज स्वयं बनाता और स्वयं बिगाड़ता है एक नजर में उसका निर्धारक पुरूष होता है तो दूसरी निगाह उसका निर्धारक स्त्री को मानती है उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय, विवेकपूर्ण और अविवेकपूर्ण, स्वाधीनता और उच्श्रृखलता, दायित्व और दायित्वहीनता, अश्लीलता और अश्लीलता के मध्य के धुँधलेक को साफ करना होगा समाज में सरोकारों का रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी भी स्त्री–पुरूष का सामाजिकता के निर्वहन में स्त्री–पुरूष को समान रूप से सहभागी बनना होगा और इसके लिए स्त्री पुरूष में अपना प्रतिद्वन्दी नहीं समझे और पुरूष भी स्त्री को एक देह नहीं, स्त्री रूप में एक इंसान स्वीकार करें। स्त्री की आजादी और खुले आकाश में उड़ान की शर्त उत्पादन में उसकी भूमिका हो स्त्री की असली आजादी तभी होगी जब उसके दिमाग की स्वीकार्यता हो, न कि केवल उसकी देह की। अन्ततः कही ऐसा न हो कि स्त्री स्वतन्त्रता और स्वाधीनता का पर्व सशक्तिकरण की अवधारणा पर खड़ा होने के पूर्व ही विनष्ट होने लगे और आने वाली पीढ़ी फिर वही सदियों पुराना प्रश्न दोहरा दे कि मैं कौन हूँ ?

उपसंहार– महिलाओं की स्थिति में सुधार ने देश के आर्थिक और सामाजिक सुधार के मायने भी बदल कर रख दिये हैं। दूसरे विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर है। यद्यपि हम यह तो नहीं कह सकते कि महिलाओं के हालात पूरी तरह बदल गये हैं। पर पहले की तुलना में इस क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सचेत है महिलाएँ अब अपने पेशवर जिंदगी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक को लेकर बहुत जागरूक है जिससे वे अपने परिवार तथा रोजमर्रा की दिनचर्या से संबंधित खर्चों का निर्वाह आसानी से कर सके।

वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुँच सकने के कारण स्त्रियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह सत्य है कि वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं लेकिन फिर भी वह अनेक स्थानों

पर पुरूष–प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही है। इस सन्दर्भ में युगनायक एवं राष्ट्रनिर्माता स्वामी विवेकानन्द का यह कथन उल्लेखनीय है– ''किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहाँ की महिलाओं की स्थिति, हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए, जहाँ वे अपने समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सके। हमें नारीशक्ति के उद्धारक नहीं वरन उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। भारतीय नारियाँ संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भाँति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती है। आवश्यकता है उन्हें उपर्युक्त अवसर देने की इसी आधार पर भारत के उज्जवल भविष्य की संभावनाएँ सन्निहित है।''

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1) राजकुमार डा0 नारी के बदले आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2005
2) गुप्ता कमलेश कुमार, महिला सशक्तिकरण बुक एनक्लेव, जयपुर
3) करण बहादुर सिंह, महिला अधिकार व सशक्तिकरण कुरूक्षेत्र मार्च 2006
4) सुरेश लाल श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महिला आयोग कुरूक्षेत्र मार्च 2007
5) गौतम हरेन्द्र राज, महिला अधिकार संरक्षण कुरूक्षेत्र मार्च 2006
6) व्यास, जयप्रकाश, नारीशोषण, ज्ञानदा प्रकाशन, 2003
7) शैलजा नागेन्द्र, वोमेन्स राइट्रस, ए,डी,वी पब्लिर्शस जयपुर 2006
8) आहुजा, राम (1999) भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन जयपुर नई दिल्ली
9) अल्टेकर ए0एस (1956) द पोजिशन आफ वोमेन इन हिन्दु सिविलाइजेशन, मोतीलाल, बनारसी लाल, वाराणसी।
10) जोशी, गुप्ता (1988) गाँधी आन वोमन, सेंटर फार वोमेन, स डेवलपमेंट स्टडीज, दिल्ली
11) हसनैन, नदीम (2004) समकालीन भारतीय समाज, भारत बुक सेन्टर लखनऊ
12) मिश्र जयशंकर (2006) प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पटना।
13) श्रीनिवास, एम0एन0 (1978) द चेन्जिग पोजीशन आफ इण्डिया वूमन, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बाम्बे।
14) राजनारायण डॉ स्त्री विमर्श और सामाजिक आन्दोलन।